



SPREE 2025

सुरक्षित कार्यबल मजबूत व्यवसाय

नियोक्ताओं के लिए मानसिक शांति, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा।

विशेष पंजीकरण विंडो

1 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www.esic.gov.in> पर जाएँ या
अपने नजदीकी शाखा कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526



सत्यमेव जयते



SPREE 2025 क्या है?

SPREE 2025, ESIC द्वारा एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य अपंजीकृत नियोक्ताओं और उन नियोक्ताओं को स्व-पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को ESIC में पंजीकृत नहीं किया है।

अवधि: 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य: पिछली अवधि के लिए बिना किसी अंशदान, दंड और कानूनी कार्रवाई के ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना।

कौन लाभान्वित हो सकता है?

नियोक्ता:

जिनके कारखाने या प्रतिष्ठान (दुकानें, होटल और रेस्टोरेट, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र, प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और नगर निगमों के संविदा और आकस्मिक कर्मचारी) हैं, जिनमें ESIC कार्यान्वित क्षेत्रों में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत नहीं किया है

पंजीकरण कैसे करें?

देखें: www.esic.gov.in

अधिक सहायता के लिए देखें: https://portal.esic.gov.in/ESIC Insurance/ ESIC Insurance Portal/ Employer_Employee_registration_through_portal-pdf

श्रम सुविधा पोर्टल: <https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/register>

MCA पोर्टल: www.mca.gov.in

नियोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ

परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया।

- ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा या MCA के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण
- पिछली अवधि के अंशदान की मांग के बिना और बिना किसी दंड के
- पिछली अवधि के किसी भी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तिथि से ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठाएँ।
- चिकित्सा देखभाल - स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा लाभ।
- रोजगार के दौरान बीमारी, मातृत्व और चोट या मृत्यु के लिए नकद लाभ
- ईएसआईसी मानसिकद्वंद चिकित्सा महाविद्यालयों में आईपी वार्ड योजना के तहत सीटों का आरक्षण

कवरेज तिथि

नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से नियोक्ता का कवरेज शुरू होगा।

अवसर न गँवाएँ

अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment
Government of India

उपक्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी

Sub Regional Office Varanasi

E-mail : sro-varanasi@esic.gov.in

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)